न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

पीठासीन अधिकारी–मनोज कुमार(आर0ए0एस0)

अपील संख्या : 2020/00141

1. शिवचन्द आ0 डालूराम जाति कुमावत निवासी ग्राम छत्रपुरा तहसील एवं जिला बून्दी(राज0)।
2. चोथमल आ0 डालूराम जाति कुमावत निवासी ग्राम छत्रपुरा तहसील एवं जिला बून्दी(राज0)।

—अपीलान्ट

बनाम

1. कैलाश आत्मज स्व0 मदनलाल जाति कुमावत निवासी लाडपुरा जिला कोटा(राज0)।
2. घनश्याम आत्मज स्व0 मदनलाल जाति कुमावत निवासी लाडपुरा जिला कोटा(राज0)।
3. श्याम सुन्दर आत्मज स्व0 मदनलाल जाति कुमावत निवासी लाडपुरा जिला कोटा(राज0)।
4. शकुंतला पुत्री स्व0 मदनलाल जाति कुमावत निवासी लाडपुरा जिला कोटा(राज0)।
5. गायत्री पुत्री स्व0 मदनलाल जाति कुमावत निवासी लाडपुरा जिला कोटा(राज0)।
6. हेमलता पुत्री स्व0 मदनलाल जाति कुमावत निवासी लाडपुरा जिला कोटा(राज0)।
7. बृजबाला पुत्री स्व0 मदनलाल जाति कुमावत निवासी लाडपुरा जिला कोटा(राज0)।
8. शांतिदेवी बेवा स्व0 मदनलाल जाति कुमावत निवासी लाडपुरा जिला कोटा(राज0)।
9. ईश्वर आत्मज स्व0 कजोड़ जाति कुमावत निवासी कुंडला तहसील हिण्डोली जिला बून्दी(राज0)।
10. नन्दलाल आत्मज स्व0 कजोड़ जाति कुमावत निवासी कुंडला तहसील हिण्डोली जिला बून्दी(राज0)।
11. बरधी बाई पत्नी स्व0 कजोड़ जाति कुमावत निवासी कुंडला तहसील हिण्डोली जिला बून्दी(राज0)।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बून्दी, तहसील व जिला बून्दी (राज0)।

13. श्रीमान उप पंजीयक महोदय, तहसील एंव जिला बून्दी(राज0)।

—रेस्पोडेन्ट

उपस्थित वक्त बहस :— 1. श्री अशोक गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री कैलाश गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पो0 संख्या 1 से 8 की ओर से।
3. श्री रमेशचन्द जैन,अभिभाषक,रेस्पो0 संख्या 9 से 11 की ओर से।

अपील संख्या : 2020/00171

1. कैलाश आत्मज स्व0 मदनलाल जाति कुमावत निवासी लाडपुरा जिला कोटा(राज0)।
2. घनश्याम आत्मज स्व0 मदनलाल जाति कुमावत निवासी लाडपुरा जिला कोटा(राज0)।
3. श्याम सुन्दर आत्मज स्व0 मदनलाल जाति कुमावत निवासी लाडपुरा जिला कोटा(राज0)।
4. शकुंतला पुत्री स्व0 मदनलाल जाति कुमावत निवासी लाडपुरा जिला कोटा(राज0)।
5. गायत्री पुत्री स्व0 मदनलाल जाति कुमावत निवासी लाडपुरा जिला कोटा(राज0)।
6. हेमलता पुत्री स्व0 मदनलाल जाति कुमावत निवासी लाडपुरा जिला कोटा(राज0)।
7. बृजबाला पुत्री स्व0 मदनलाल जाति कुमावत निवासी लाडपुरा जिला कोटा(राज0)।
8. शांतिदेवी बेवा स्व0 मदनलाल जाति कुमावत निवासी लाडपुरा जिला कोटा(राज0)।

—अपीलान्ट

बनाम

1. शिवचन्द आ0 डालूराम जाति कुमावत निवासी ग्राम छत्रपुरा तहसील एवं जिला बून्दी(राज0)।
2. चोथमल आ0 डालूराम जाति कुमावत निवासी ग्राम छत्रपुरा तहसील एवं जिला बून्दी(राज0)।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बून्दी, तहसील व जिला बून्दी (राज0) ।
4. श्रीमान उप पंजीयक महोदय, तहसील एंव जिला बून्दी(राज0)।

—रेस्पोडेन्ट

उपस्थित वक्त बहस :— 1. श्री कैलाश गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री अशोक गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक: 30.06.2023

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त दोनों अपीलें, अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 402/2016 मे पारित निर्णय दिनांक 14.07.2017 के विरूद्ध एवं प्रकरण संख्या 49/2020 निर्णय दिनांक 29.10.2020 के विरूद्ध अपील पेश की गई हैं ।

2. उक्त दोनों अपीलें एक ही वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित होने तथा समान पक्षकार होने तथा समान विषयवस्तु की होने से दोनो अपीलों मे एक–साथ बहस सुनी जाकर उक्त दोनों अपीलों का निर्णय इस एकल निर्णय से किया जा रहा है । निर्णय की एक–एक प्रति अलग–अलग दोनों पत्रावली में संलग्न की जावे ।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अपील संख्या 2020/00141 के अपीलांट प्रार्थीगण/अपील संख्या 2020/00171 के रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 प्रार्थीगण की ओर से मूलवाद के साथ एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का पेश किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1007 रकबा 13 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम छत्रपुरा तहसील व जिला बून्दी मे स्थित है। उक्त भूमि श्री जगन्नाथ आत्मज श्री गोपाल जाति कुमावत निवासी ग्राम छत्रपुरा तहसील व जिला बून्दी के नाम दर्ज रिकॉर्ड थी। जगन्नाथ जी का दिनांक 08.03.1974 को स्वर्गवास हो चुका है। स्वर्गीय श्री जगन्नाथ के एकमात्र पुत्री श्रीमति रामकन्या पत्नी डालू प्रार्थीगण की माता थी, जिसका स्वर्गवास दिनांक 23.09.1963 को हो गया था। प्रार्थीगण उक्त श्रीमति रामकन्या के पुत्र है, और श्री जगन्नाथ जी के दोहिते है। जगन्नाथ के स्वर्गवास के पश्चात प्रार्थीगण जगन्नाथ की पुत्री रामकन्या के पुत्र होने से कानूनन जगन्नाथ जी की सम्पत्ति के वारिस बने और उक्त भूमि के भी कानूनन खातेदार बने। प्रार्थीगण उक्त भूमि को खातेदार काश्तकार की हैसियत से ही काश्त कर रहे है। अप्रार्थी संख्या 9 कजोड़ अपने आप को उक्त श्री जगन्नाथ जी का पुत्र होना बताता है। जबकि श्री कजोड़ जगन्नाथ जी का पुत्र नहीं है वह तो स्वर्गीय रामा का पुत्र है। जो दूर की पीढ़ी है। राजस्व अधिकारियों द्वारा जगन्नाथ की बहन श्रीमति मगनीबाई की उक्त भूमि को गलत रूप से खाते मे

अंकित कर दिया था जबकि कानूनन मगनीबाई श्री जगन्नाथ की वारिस हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत नहीं बनती है तथा रिलीज डीड दीवानी न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है। उक्तानुसार विवादित भूमि को प्रार्थीगण काश्तकार की हैसियत से काश्त कर रहे है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड मे मगनीबाई के स्वर्गवास होने से उनके स्वर्गीय पुत्र श्री मदनलाल के पुत्र–पुत्रियों व पत्नी अप्रार्थीगण संख्या 1 से 8 के नाम उक्त भूमि खाते मे अंकित कर दी गई। जबकि मगनी बाई का ही विवादित भूमि मे किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था तो मगनीबाई के वारिसान अप्रार्थीगण संख्या 1 से 8 का विवादित भूमि मे किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं हो सकता है। प्रार्थीगण ही उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार की हैसियत से काश्त करते आ रहे है और प्रार्थीगण ही जगन्नाथ के कानूनन वारिस है। इस कारण प्रार्थीगण को यह अधिकार प्राप्त है कि वे उक्त भूमि का स्वयं को संयुक्त खातेदार हिस्सा बराबर के रूप मे घोषित करावे तथा राजस्व रिकॉर्ड मे खातेदार के रूप मे इसी अनुरूप अपना नाम अंकित करावें और अप्रार्थीगण संख्या 1 से 8 का नाम विलोपित करावें। अन्त मे प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति स्वयं के पक्ष मे होना बताते हुए ताफैसला वाद अप्रार्थीगण संख्या 1 से 8 को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया कि वे उक्त भूमि पर जबरन कब्जा नहीं करे और न ही ऐसा किन्ही अन्य से करावें। साथ ही अप्रार्थीगण उक्त भूमि को अन्य को रहन, बय या किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित नहीं करे तथा भारयुक्त नहीं करे। साथ ही अप्रार्थी संख्या 11 को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया कि वे अप्रार्थीगण संख्या 1 से 8 द्वारा उक्त भूमि के संबंध मे पंजीयन हेतु कोई भी प्रलेख प्रस्तुत करने पर उसका पंजीयन नहीं करे।

4. उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 402/2016 के रूप मे दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। दिनांक 14.07.2017 को लोक अदालत फोलोअप कैम्प तहसील बून्दी के तहत प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने का निर्णय पारित किया।

5. प्रार्थीगण की ओर से अधीनस्थ न्यायालय मे एक अन्य प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत किया जाकर निवेदन किया कि पूर्व मे प्रार्थीगण ने एक अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र (402/2016) प्रस्तुत किया था जो प्रार्थीगण की अनुपस्थिति मे प्रार्थीगण को बिना सुने राजस्व लोक अदालत मे एकपक्षीय रूप से आदेश दिनांक 14.07.2017 को खारिज कर दिया गया। प्रार्थीगण बदली हुई परिस्थितियों मे उक्त भूमि के संबंध मे माननीय न्यायालय के समक्ष दोबारा

अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर रहे है। पूर्व मे प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी को सुने बिना एकपक्षीय रूप से प्रार्थीगण की अनुपस्थिति मे पत्रावली को कैम्प मे रखकर आदेश दिनांक 14.07.2017 पारित कर अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना–पत्र को खारिज करने का आदेश पारित कर दिया लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 से 8 का नाम खाते मे दर्ज होने के आधार पर वे उक्त भूमि को अन्य व्यक्तियों को बेचान करने पर आमादा हो रहे है एवं कुछ भू–माफियाओं को अपनी ओर मिला लिया है एवं अप्रार्थी संख्या 9 से 11 भी बिना अधिकार के उक्त भूमि पर कब्जा कर अतिकमण करने पर आमादा हो रहे है। इसी कारण दोनो पक्षों के बीच दिनांक 16.09.2020 को उक्त भूमि पर मारपीट हुई जिसका मुकदमा संख्या 334/20 थाना सदर बून्दी मे धारा 143, 323, 447, 307 ता0हि0 मे दर्ज है। इस कारण अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना अति आवश्यक है। अप्रार्थीगण लगातार भूमि पर आकर लड़ाई झगड़ा कर रहे है तथा मारने पीटने पर आमादा हो रहे है एवं भू–माफियाओं को लेकर भूमि पर आते है एवं जबरन तारबन्दी करने की कोशिश करते है, कई बार रोकने की कोशिश की लेकिन डरा धमकाकर भगा देते है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का ही कब्जा काश्त है। दिनांक 16.09.2020 को भी गम्भीर मारपीट हुई इस कारण अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना अति आवश्यक है ताकि भूमि दौराने दावा सुरक्षित रह सके एवं प्रार्थीगण के अधिकारों पर विपरीत असर नहीं पड़े। अन्त मे अप्रार्थी संख्या 1 से 8 को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया कि अप्रार्थीगण प्रार्थना–पत्र मे वर्णित कृषि भूमि को नाम दर्ज होने के आधार पर रहन बेचान एवं भारग्रस्त नहीं करे, किसी भी प्रकार से अन्तरण नहीं करे, दान, बक्शीस, रिलीज नहीं करे, खुर्द–बुर्द नहीं करे एवं प्रार्थीगण को उक्त भूमि का उपयोग उपभोग करने मे बाधा नहीं पहुंचाये, प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करे। ऐसा अप्रार्थीगण संख्या 1 से 8 न तो स्वयं करने न अपने अन्य प्रतिनिधीयों से करावे। साथ ही अप्रार्थी संख्या 9 व 10 को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया कि वे प्रार्थना–पत्र मे वर्णित कृषि भूमि के संबंध मे किसी भी नामान्तरकरण को तस्दीक नहीं करे एवं उक्त भूमि के संबंध मे प्रस्तुत रहन, बेचान एवं भारग्रस्त करने के दस्तावेज का पंजीयन नहीं करे एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथा स्थिति बनाये रखे।

6. उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 49/2020 के रूप मे दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। उभय पक्षकारान की बहस सुनी जाकर दिनांक 29.10.2020 को प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दिनांक 29.10.2020 स्वीकार किया

जाकर अप्रार्थीगण संख्या 1 से 8 को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किये जाने का निर्णय पारित किया कि वे विवादित भूमि को ताफैसला वाद रहन बैचान न तो स्वयं करे न किसी अन्य से करावें।

7. प्रार्थीगण अपीलांट की ओर से प्रकरण संख्या 402/2016 मे पारित निर्णय दिनांक 14.07.2017 के विरूद्ध अपील न्यायालय हाजा में मियांद बाहर पेश की गई। अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया गया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्टगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

8. अप्रार्थीगण संख्या 1 से 8 अपीलांट की ओर से प्रकरण संख्या 48/2020 निर्णय दिनांक 29.10.2020 के विरूद्ध अपील न्यायालय हाजा पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्टगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल मिसल किया गया । पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

9. प्रार्थीगण अपीलांट की ओर से प्रकरण संख्या 402/2016 मे पारित निर्णय दिनांक 14.07.2017 के विरूद्ध अपील न्यायालय हाजा में मियांद बाहर पेश की गई है। प्रार्थीगण ने अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया जाकर अपील मे हुई देरी को क्षमा किये जाने का निवेदन किया। हमने प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया। न्यायहित मे प्रार्थीगण अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम मय शपथ–पत्र स्वीकार किया जाकर अपील मे हुई देरी को क्षमा किया जाता है। अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

10. अपील के विचाराधीन रहते हुए अपील संख्या 2020/00141 के अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 9 से 11 की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी प्रस्तुत किया जाकर प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लिये जाने हेतु निवेदन किया। हमने प्रार्थना–पत्र व उसके साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज राशन कार्ड, मृत्यु प्रमाण–पत्र, आधार कार्ड व निर्वाचन सूचि की फोटोप्रतियॉ है, जो सभी राजकीय दस्तावेज है। अतः न्यायहित मे प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश

41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लिया जाता है।

11. अधिवक्ता अपीलांट अप्रार्थीगण संख्या 1 से 8 (अपील संख्या 2020/00141 के रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 8) एवं (अपील संख्या 2020/00171 के अपीलांट) ने अपनी बहस मे अपील मेमों मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.10.2020 वस्तु स्थिति एवं विधान के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। रेस्पोडेन्ट प्रार्थीगण का पूर्व प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 402/2016 गुणावगुण पर समान अनुतोष के लिए दिनांक 14.07.2017 को खारिज कर दिया गया है। इस कारण पुनः प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पोषणीय नहीं है तथा रेसज्यूडीकेटा के प्रभाव से बाधित है। इस तथ्य को निर्णय का आधार बनाये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर लिया है जो सर्वथा अवैध है। जगन्नाथ जी अपनी बहन मगनीबाई के साथ कोटा मे रहते थे। जगन्नाथ जी की इच्छा थी कि उक्त भूमि बहन मगनीबाई को देवें। जब हमने अपील मे आपत्ति प्रकट की तो उसके पश्चात रेस्पोडेन्ट ने अपील संख्या 2020/00141 प्रस्तुत की। प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने दिनांक 12.04.1974 को वादग्रस्त कृषि भूमि के संबंध मे श्रीमती मगनी बाई के पक्ष मे पंजीकृत दस्तावेज द्वारा समस्त अधिकारों का हक त्याग करते हुए कब्जा सम्भला दिया था। यह दस्तावेज दानपत्र की तारीफ मे आता है। प्रार्थीगण ने इस दस्तावेज को अभी तक किसी भी न्यायालय मे चुनौती नहीं दी है। व्यवहार न्यायालय से उक्त पंजीकृत दस्तावेज को प्रार्थीगण द्वारा निरस्त करवाये बिना प्रार्थीगण उक्त कृषि भूमि के संबंध मे कोई अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते। एक व्यक्ति कजोड आ० रामा कुमावत निवासी छत्रपुरा बून्दी ने स्वयं को जगन्नाथ जी का पुत्र होना असत्य रूप से प्रकट करते हुए न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश क्रम –1 बून्दी में रिलीज डीड दिनांक 12/04/1974 को खारीज करने हेतु वाद संख्या–58 / 2010 प्रस्तुत किया, जिसमें अपीलान्ट अप्रार्थीगण को भूमि के रिकोर्डेड खातेदार होते हुए एव कब्जे में चले आने के बावजूद पक्षकार नही बनाया तथा प्रार्थी रेस्पोडेन्ट शिवचन्द व चोथमल ने कजोड द्वारा स्वयं को जगन्नाथ जी का पुत्र होना प्रकट करने के प्रति कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की। इस प्रकार मिलीभगत करके निर्णय प्राप्त कर लिया, जिसके विरुद्ध न्यायालय जिला न्यायाधीश महोदय बून्दी में प्रस्तुत अपील संख्या – 49 / 2012 कैलाश बनाम – कजोड वगैरा में अधीनस्थ न्यायालय की डिक्री दिनाक 29/7/2011 की पालना स्थगित करने का आदेश दिनाक 07/11/12 को हो गया और दिनाक 05/08/2013 को ताफैसला अपील निर्णय व डिक्री की पालना स्थगित कर दी गई, अपील वर्तमान मे माननीय न्यायालय मे लम्बित है। इस प्रकार स्वत्व एवं कब्जे के अभाव में प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टस् क्रम–1 व 2 का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने

योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में उक्त कजोड को मूल वाद में प्रतिवादी क्रम–9 बनाया गया था। जिसने प्रार्थीगण के वाद एवं प्रार्थना पत्र का कोई विरोध नही किया। उक्त कजोड की लगभग 01 वर्ष पूर्व मृत्यु हो गई हैं। अपीलाधीन प्रार्थना पत्र में कजोड़ के वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया गया हैं। जबकि स्वर्गीय कजोड ने स्वयं को जगन्नाथ जी का पुत्र होना 'असत्य रूप से प्रकट किया था। कजोड़ रामा का बेटा है। स्वर्गीय कजोड द्वारा नामान्तकरण संख्या–56 दिनांक 02/09/1975 के विरुद्ध न्यायालय जिला कलेक्टर महोदय, बून्दी में प्रस्तुत की गई अपील में भी प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट क्रम–1 व 2 को पक्षकार बनाया गया था। उक्त नामान्तरकरण की अपील खारिज हो गई तथा इसकी अपील माननीय संभागीय आयुक्त महोदय के न्यायालय मे पेश की गई जो दिनांक 24.01.2017 को खारिज की गई। तत्समय खातेदार मगनीबाई ने दिनांक 16.03.1983 को पति के भाई के पुत्र मदनलाल को वसीयत कर दी तथा इसका नामान्तरकरण दर्ज हो गया। सभी तथ्यो की जानकारी होने के बावजूद पंजीकृत रिलीज डीड एवं इसके आधार पर खोले गये नामान्तकरण के 37 वर्ष बाद प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट क्रम– 1 व 2 ने राजस्व वाद बाबत् अधिकार घोषणा प्रस्तुत किया हैं। प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट क्रम–1 व 2 ने पंजीकृत लेख दिनांक 12/04/1974 में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि भूमि के खातेदार स्वर्गीय जगन्नाथ जी ने अपने जीवन में उनकी चल–अचल सम्पत्ति एवं कृषि भूमि क उत्तराधिकारी अपनी बहिन मगनी बाई को बनाये जाने की घोषणा कर दी थी और उनकी भावना को प्रार्थीगण भी स्वीकार करते हैं। इस प्रकार पंजीकृत लेख के 37 वर्षों बाद प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट का विपरीत कथन स्वीकार नही है तथा ये पंजीकृत लेख के तथ्यों के विरुद्ध कथन करने से प्रतिबंधित हैं। प्रार्थीगण ने रिलीज–डीड को चुनौती नहीं दी। वाद की परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नही हुआ है। मूल वाद प्रतिवादी कजोड के वारिसान द्वारा भूमि पर जबरन कब्जा करने का प्रयास करने और इसका विरोध करने पर अपीलान्ट के साथ मारपीट करने की घटना के बाबत् दर्ज फोजदारी मुकदमें का इस प्रकरण में कोई प्रभाव नही है तथा इसे पश्चातवर्ती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का आधार नहीं बनाया जा सकता हैं, क्योंकि इस घटना में प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 प्रभावित नहीं हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय मे दूसरा प्रार्थना–पत्र रेसजुडिकेटा से बाधित है। प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट न तो खातेदार है तथा न ही उनका कब्जा है। प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट के पक्ष मे नहीं है। रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 मे अस्थाई निषेधाज्ञा का विशिष्ट प्रावधान है, इस कारण धारा 151 सी0पी0सी0 मे अलग से इंडिपेंडेंट आदेश पारित नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बहस प्रार्थना पत्र सुनी जाकर निर्णय हेतु दिनाक 29/10/2020 की पेशी नीयत की गई थी। नियत दिनाक को 4:30 न्यायालय में आदेश के बाबत

पूछताछ करने पर बताया गया कि आज आदेश नही किया गया हैं तथा दिनांक 30/10/2020 व 31/10/2020 व 1/11/2020 का अवकाश होने से बाद में आदेश सुनाया जावेगा किन्तु अवकाश के दौरान ही पीठासीन अधिकारी डॉ० पूजा सक्सैना का स्थानान्तरण हो गया। दिनाक 02/11/2020 को न्यायालय में आगामी पेशी की पुछताछ करने पर जानकारी हुई कि स्थानान्तरण आदेश के बावजूद निर्णय लिखवाया जाकर दिनाक 29/10/2020 में हस्ताक्षरित कर दिया गया हैं। न्यायालय का यह कार्य न्याय की गरीमा के सर्वथा विपरित हैं। कजोड़ की मृत्यु हो चुकी है। रेस्पोडेन्ट संख्या 9 से 11 का कोई हित नहीं है, चूंकि रेस्पोडेन्ट संख्या 9 से 11 अधीनस्थ न्यायालय मे पक्षकार नहीं थे, अतः इन्हें बहस करने का अधिकार भी नहीं है। अपनी बहस के समर्थन मे न्यायिक दृष्टांत ए.आई.आर. 1972 राजस्थान पेज 38 (V 59 C 64), ए.आई.आर. 198 इलाहाबाद पेज 307, ए.आई.आर. 1960 सुप्रीम कोर्ट पेज 941(V 47 C 167), 2013(1) डी.एन.जे.(राज.) पेज 34, आर.आर.डी. 1984 पेज 146 हंसराज बनाम भागसिंह, 2020(3) डी.एन.जे. (राज.) पेज 695, आर.आर.डी. 1984 पेज 492 सरदार बनाम गिर्राज प्रसाद, 2013(1) डी.एन.जे.(राज.) पेज 246, 2016 आर.बी. जे. पेज 59, ए.आई.आर. 1959 सुप्रीम कोर्ट 24(V 46 C 5), आर.आर.डी. 1963 पेज 71 किशनलाल बनाम राजस्थान सरकार प्रस्तुत किये। अन्त मे अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 49/2020 मे पारित निर्णय दिनांक 29.10.2020 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 29/10/2020 निरस्त किया जाने का निवेदन किया। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 40/2016 मे पारित निर्णय दिनांक 14.07.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने तथा रेस्पोडेन्ट प्रार्थी क्रम–1 व 2 का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाने का निवेदन किया।

12. अधिवक्ता प्रार्थीगण (अपील संख्या 2020/00141 के अपीलांट) एवं (अपील संख्या 2020/00171 के रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2) ने अपनी बहस मे अपील मेमों व प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया गया जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 402/2016 पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उक्त प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तारीख आगामी तारीख पेशी दिनांक 21.08.2017 नियत की गई परन्तु पत्रावली नियत तारीख पेशी से पूर्व ही प्रार्थीगण को सूचित किये बिना ही दिनांक 14.07.2017 को राजस्व लोक अदालत फोलोअप कैम्प बून्दी मे रखी गई। दिनांक 14.07.2017 को लोक अदालत के तहत प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने का निर्णय पारित किया गया। लोक अदालत के तहत दोनो पक्षो के मध्य राजीनामे से प्रकरण को निस्तारित किये जाने का प्रावधान है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण

व रेस्पोडेन्ट की अनुपस्थिति मे उभयपक्षकारान को सुने बिना एवं बिना सूचना दिये प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र खारिज करने मे त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.07.2017 लोक अदालत की भावना के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। साथ ही यह भी कथन किया कि दिनांक 16.09.2020 को अप्रार्थीगण संख्या 1 से 8 व उनके प्रतिनिधीयों व अन्य व्यक्तियों ने विवादित भूमि पर आकर प्रार्थीगण के साथ गम्भीर मारपीट की जिसका मुकदमा संख्या 334/20 थाना सदर देवपुरा बून्दी मे धारा 143, 447, 323, 307 ता0हि0 मे प्रार्थीगण की ओर से दर्ज हुआ। मौके पर अशान्ति बनी होने तथा अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण को डराने व धमकाने के कारण बदली हुई परिस्थितियों में प्रार्थीगण की ओर से अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत एक अन्य प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया गया जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 49/2020 के रूप मे दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण संख्या 49/2020 मे दिनांक 29.10.2020 को निर्णय पारित करते हुए प्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया कि वह उक्त विवादित भूमि को ताफैसला वाद रहन बैचान, न तो स्वयं करे न किसी अन्य से करावे, का निर्णय पारित किया जो उचित है। पुनः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करना रेसजुडिकेटा से बाधित नहीं है क्योंकि परिस्थितियॉ विपरीत रूप से बिगड़ गई थी। पूर्व निर्णय एकतरफा लोक–अदालत में हुआ, इसलिए भी रेसजुडिकेटा लागू नहीं होता। प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है। गैर खातेदारी में रिलीज डीड संभव नहीं है। मौके पर प्रारंभ से हम कब्जा काश्त में है। रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध भी अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है, अपीलांट अप्रार्थीगण का नाम गलती से राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज है। यदि भूमि को अंतरण या खुर्द–बुर्द करते है तो प्रार्थीगण को असुविधा होगी तथा अपूरणीय क्षति कारित होगी। अतः तीनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष मे है। अप्रार्थी मदनलाल के वारिसान का भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 49/2020 मे पारित निर्णय दिनांक 29.10.2020 विधि सम्मत होने से प्रकरण संख्या 49/2020 मे पारित निर्णय दिनांक 29.10. 2020 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है। अन्त मे अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 402/2016 मे पारित निर्णय दिनांक 14.07.017 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.07.2017 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 49/2020 मे पारित निर्णय दिनांक 29.10.2020 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.10.2020 को यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

13. अपील संख्या 2020/00141 के रेस्पोडेन्ट संख्या 9 से 11 के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि मैं एक अपील मे पक्षकार हूँ, अतः मुझे दोनो लम्बित अपीलों मे अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार कानूनन है। कजोड़ जी के पिता जगन्नाथ थे, तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 9 से 11 के पिता कजोड़ जी है। दस्तावेजों से स्पष्ट है कि कजोड़ के पिता जगन्नाथ जी थे। अधिवक्ता अपीलांट जिस रिलीज डीड का कथन कर रहे है वह आज की तारीख मे निरस्त हो चुकी है। इसे लेकर न्यायालय हाजा मे अपील अभी लम्बित है। जिस दिन ये हकत्याग किया जाना बता रहे है, उस दिन तो वे खातेदार ही नहीं थे तथा गैर खातेदार रिलीज–डीड कैसे कर सकता है? रिलीज–डीड भी केवल सहखातेदारों के बीच हो सकती है। मगनीबाई से पूर्व ही मदनलाल का देहांत हो गया था। वसीयत को एविडेंस एक्ट के तहत सिद्ध करना होता है। इस प्रकरण में मूलवाद में हक, अधिकारों के संबंध मे अभी निर्णय होना है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित है, यदि अपीलांट द्वारा भूमि विकय या खुर्द–बुर्द की जाती है तो मुझे अपूरणीय क्षति होगी। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 9 से 11 ने अपनी बहस के समर्थन मे न्यायिक दृष्टांत 2011(3) डी.एन. जे. राज. पेज 1087, आर.आर.डी. 1990 पेज 479, आर.आर.डी. 2005 पेज 401, आर.आर.डी. 1995 पेज 27, ए.आर.आर. 1993 सुप्रीम कोर्ट पेज 412 प्रस्तुत किये तथा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 29.10.2013 रामकिशन बनाम आईदान व अन्य की फोटोप्रति तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 की फोटोप्रति प्रस्तुत की। अन्त मे अपील अपीलांट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

14. हमने उभय पक्षकारान की बहस पर विधिपूर्वक मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावलियों व रिकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 27.06.017 अनुसार पत्रावली मे आगामी तारीख पेशी दिनांक 28.08.2017 नियत की गई। परन्तु उससे पूर्व ही दिमांक 14.07.2017 को पत्रावली लोक अदालत फोलोअप कैम्प मे तहसील बूंदी मे पेश कर दी गई। आदेशिका दिनांक 14.07.2011 पर किसी भी पक्षकार की न तो उपस्थिति दर्ज है तथा न ही किसी भी पक्षकार के हस्ताक्षर अंकित है। आदेशिका मे भी कोई उपस्थिति अथवा बहस का हवाला नहीं है। निर्णय लोक–अदालत फोलोअप कैम्प बूंदी मे प्रार्थी अपीलांट की अनुपस्थिति मे किया गया। लोक–अदालत की भावना से कोई राजीनामा भी पक्षकारों ने नहीं किया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 40/2016 मे पारित निर्णय दिनांक 14.07.2017 खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण की ओर से पुनः एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 151 सीपीसी बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 05.10.2020 को पेश किया गया।

इस प्रार्थना–पत्र की बिन्दु संख्या 2 मे अंकित किया है कि " प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अधिकार घोषणा का वाद दायर कर रखा है। जिसके साथ पूर्व मे अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर रखा था लेकिन उक्त सभी तथ्यों के संबंध मे अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण को सुने बिना एकपक्षीय रूप से प्रार्थीगण की अनुपस्थिति मे पत्रावली कैम्प मे रखकर आदेश दिनांक 14.07.2017 पारित कर अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना–पत्र को खारिज करने का आदेश पारित कर दिया लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 से 8 का नाम खाते दर्ज होने के आधार पर वे उक्त भूमि को अन्य व्यक्तियों को बेचान करने पर आमादा हो रहे है एवं कुछ भू–माफियाओं को अपनी ओर मिला लिया है एवं अप्रार्थी संख्या 9 से 11 भी बिना अधिकार के उक्त भूमि पर कब्जा कर अतिक्रमण करने पर आमादा हो रहे है, इसी कारण दोनो पक्षों के बीच दिनांक 16.09.2020 को उक्त भूमि पर मारपीट हुई जिसका मुकदमा संख्या 334/20 थाना सदर बून्दी मे धारा –143, 323, 447, 307 ता0हि0 मे दर्ज है। इस कारण अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना अति आवश्यक है।" इस प्रकार प्रार्थी रेस्पोडेन्ट प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में पूर्व के निर्णय के संबंध मे व पुनः प्रार्थना–पत्र क्यों प्रस्तुत करना पड़ा उसका कारण अंकित किया है। अधिवक्ता अप्रार्थीगण का कथन रहा है कि प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र रेसजुडिकेटा के प्रभाव से बाधित है। परन्तु हमारे मत मे दिनांक 14.07.2017 का निर्णय प्रार्थी की अनुपस्थिति मे लोक–अदालत फोलोअप केम्प मे पारित किया गया तथा धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 151 सीपीसी के तहत प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना–पत्र में अंकित किया है कि अप्रार्थीगण संख्या 1 से 8 प्रश्नगत भूमि के विकय करने पर तथा कब्जा करने पर आमादा होने तथा इस कारण दिनांक 16.09.2020 उक्त भूमि पर हुई मारपीट के कारण अस्थाई निषेधाज्ञा चाही गई है। इस संबंध मे एक मुकदमा 334/20 भी थाना सदर बून्दी मे दर्ज होना अंकित किया है। उक्त मुकदमे के खण्डन मे अप्रार्थीगण द्वारा कोई कथन नहीं किया गया हैं । प्रार्थीगण द्वारा धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 151 सीपीसी के तहत प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना–पत्र बदली हुई परिस्थितियों के कारण पेश किया जाना प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 29.10.2020 में भी फाइंडिंग दी है कि "तथ्यों मे भिन्नता तथा न्यायालय के समक्ष नए तथ्य प्रकट होने से न्यायहित मे प्रार्थीगण को सुना जाना आवश्यक हो गया है।" उक्त प्रार्थना–पत्र संख्या 49/2020 अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण की नवीन परिस्थितियों व नए तथ्यों के अनुसार निर्णित किया जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निर्णय दिनांक 29.10.2020 पारित किया है। अतः हस्तगत प्रकरण मे प्रार्थना–पत्र रेसजुडिकेटा से बाधित नहीं है। प्रकरण मे यह सही है कि अपीलांट वर्तमान मे रिकॉर्डेड खातेदार है। अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि वे रिकॉर्डेड खातेदार है तथा रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई

निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। हमारे मत मे प्रत्येक प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियां भिन्न होती है तथा अलग–अलग तथ्यों व परिस्थितियों के कारण रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध भी अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है। रिलीज–डीड के संबंध मे अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि इसे दान–पत्र माना जाए क्योंकि इसका भाव यही है। गैर खातेदार के क्या हक अधिकार है? वसीयत पर भी प्रश्न उठाए गए है। पूर्व मे निर्णय दिनांक 14.07.2017 बिना किसी विधिक राजीनामा के साथ पक्षकारों की अनुपस्थिति मे हुआ था। दिनांक 14.07.2017 को गुणावगुण पर निर्णय अंतिम रूप से नहीं हुआ था । अतः इस प्रार्थना–पत्र पर रेसजुडिकेटा का प्रभाव लागू नहीं होता। प्रकरण मे एक अपील माननीय सिविल न्यायालय मे भी लम्बित होना उभयपक्षकारान ने स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति मे हमारे मत मे हस्तगत प्रकरण में गंभीर विवाद्यक बिन्दुओं पर निर्णय मूलवाद मे निर्णित होंगे। तब तक विवादित भूमि को संरक्षित किया जाना उचित होगा ताकि वाद बहुलता नहीं बढ़े तथा मौके पर भी यथास्थिति बनी रहे। प्रत्येक प्रकरण की तथ्य व परिस्थितियॉ भिन्न होती है, अतः विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत प्रकरण पर चस्पा नहीं होते। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.10.2020 विधि सम्मत होने से इसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रकरण संख्या 49/2020 मे पारित निर्णय दिनांक 29.10.2020 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य है।

15. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 402/2016 मे पारित निर्णय दिनांक 14.07.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 2020/00141 स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.07.2017 निरस्त किया जाता है। साथ ही प्रकरण संख्या 49/2020 मे पारित निर्णय दिनांक 29.10.2020 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 2020/00171 खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.10.2020 यथावत रखा जाता है।

16. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावलीयां निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु विलम्ब लौटाई जावे।

17. निर्णय आज दिनांक 30.06.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा